

19-11-25

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षराकान् की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार किसी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेजात पेश नहीं किये। लिहाजा अपील में वर्णित तथ्यों की प्रचलीत विधिक प्रावधानों के अनुसार पुष्टि होना नहीं पाया गया। रेस्पोंडेण्ट अधिवक्ता ने प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा पारित अवार्ड की अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने का कथन किया गया है, जिसका कोई खण्डन अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा